गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.06.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एम.के. सिंह
2. डॉ0 पायल बनर्जी
3. प्रो0 व्ही.एस. राठौर

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय के द्वारा अपने लक्ष्यों एवं उसके अनुकूल आचरण का निर्धारण कर मन एवं कर्म से विश्वविद्यालय की सेवा में तत्पर रहने तथा सहयोगियों के साथ भावनात्मक अंर्तसंबंध स्थापित कर आपस में मिल–जुल कर सहयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया गया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2023 के कार्यवृत्त पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2023 के कार्यवृत्त की विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 31.05.2023 में, अनुमोदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 के पालन प्रतिवेदन का संज्ञान लिया एवं सूचना ग्रहण की।

Mcell~1\SC\..\SC 12-06-2023

12/06/2023

12/06/23

विषय क्र. 03. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और MIDNAPORE COLLEGE (AUTONOMOUS) Midnapore, Paschim Medinipur के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और MIDNAPORE COLLEGE (AUTONOMOUS) Midnapore, Paschim Medinipur के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता निष्पादन संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

विषय क्र. 04. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Bank of Baroda, Birkona के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Bank of Baroda, Birkona के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता निष्पादन संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

विषय क्र. 05. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 25.05.2023 पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 25.05.2023 के कार्यवृत्त के विषय क्रमांक–1 के अंतर्गत प्राप्त प्रथम अनुशंसा जिसमें फॉर्म 16 का उल्लेख है एवं विषय क्रमांक–2 में प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. एम.टेक अध्यादेश 76 के धारा 3.1 में संशोधन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एम.टेक अध्यादेश 76 के धारा 3.1 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. भारतीय विश्वविद्यालय संघ–अकादमिक एवं प्रशासनिक विकास केन्द्र संबंधी कार्य करने की अभिव्यक्ति भारतीय विश्वविद्यालय संघ को प्रेषित किये जाने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ–अकादमिक एवं प्रशासनिक विकास केन्द्र संबंधी कार्य करने की अभिव्यक्ति भारतीय विश्वविद्यालय संघ को प्रेषित किया जाय एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु समन्वय समिति गठित की जाय।

यह भी निर्णय लिया कि समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय।

विषय क्र. 08. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 07.06.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 07.06.2023 के कार्यवृत्तों में से विषय क्रमांक–3 को छोड़ कर शेष अन्य विषयों पर प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु पीडीएफ (PDF) को पूर्व सेवा अवधि के रूप में गणना ना की जाय। इस हेतु शीघ्र कार्यालयीय ज्ञाप जारी किया जाय।

12/06/2023

14/06/23

विषय क्र. 09. **विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगन्तुकों की उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त दुग्ध एवं इससे संबंधित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगन्तुकों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त दुग्ध एवं इससे संबंधित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अमूल पार्लर खोले जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

विषय क्र. 10. **पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन हो।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.–1 स्थायी समिति के समक्ष डॉ0 रोहित सेठ, एसोसियेट प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत अवैतनिक अवकाश आवेदन दिनांक 02.06.2023 प्रस्तुत किया गया एवं स्थायी समिति ने प्राप्त आवेदन पर चर्चा की।

चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 रोहित सेठ, एसोसियेट प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग को उनके आवेदन के अनुक्रम में 06 माह का अवैतनिक अवकाश प्रदान कर दिया जाय।

अ.अ.वि.क्र.–2 प्रबंध अध्ययन विभाग के द्वारा वैमानिकी एवं अतिथि सत्कार विषय पर पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रथमतः वैमानिकी विषय पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करता है। तथा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में विभाग किसी अन्य निकाय के साथ समझौता ज्ञापन संबंधी कार्यवाही सम्पादित न करें।

अ.अ.वि.क्र.–3 स्थायी समिति के समक्ष वाणिज्य विभाग द्वारा Tally Software के लिए सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्थायी समिति उक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करती है तथा यह निर्णय लेती है कि वर्तमान में इस विषय को स्थगित रखा जाय।

अ.अ.वि.क्र.–4 विश्वविद्यालय में जनजाति शोध केन्द्र खोले जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर स्थायी समिति ने विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं जनजाति शोध एवं अध्ययन केन्द्र खोले जाने संबंधी प्रस्ताव आईसीएसएसआर के साथ–साथ एनसीएसटी (NCST) एवं जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रेषित किया जाय।

12/06/2023

12/06/23

अ.अ.वि.क्र.–5 विश्वविद्यालय के VRET प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की गई तथा यह संज्ञान में लिया गया कि प्रवेश सूचना जारी होने के उपरान्त शैक्षणिक विभागों के कई शिक्षक शोध निर्देशक मान्य किये गये हैं एवं ऐसे शिक्षकों के नाम विज्ञापन में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि ऐसे शिक्षकों को जिन्हें विज्ञापन प्रसारण के बाद शोध निर्देशक मान्य किया गया है, को सीट रिक्त होने की दशा में विभागीय शोध समिति स्व–विवेक से सीट आबंटित कर सकती है, बशर्ते विभाग विज्ञापित सीट संख्या में वृद्धि न करे और न ही सीटों के आरक्षण बिन्दुओं में परिवर्तन करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

12/06/23	12/06/2023
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव	**कुलपति / अध्यक्ष**